<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 181/1990

दिनांक 24.03.2025

अभियुक्त गोरख राय पिता मुसाफिर राय तथा मुसाफिर राय पिता ना मालूम साकिन पानापुर दिलवरपरु, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली अनुपस्थित है।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पिछले कई तिथियों से अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है। यह भी स्पष्ट होता है कि परिवाद पत्र के आधार पर बिदुपुर थाना कांड संख्या 130/1986 दायर किया गया था और दिनांक 12.09.20214 धारा 307/34 तथा 426/34 के अंतर्गत आरोप गठित किया गया था, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ एक ही अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठित किया गया है जबकि पिछले कई वर्षो से दो अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व आदेश फलक में दर्शाया जा रहा है। यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोजन के अधिवक्ता ने पूर्व में अभियुक्त मुसाफिर के मृत्यु के संबंध में सूचना देते हुए पुलिस को इस संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु निवेदन किया है जिसके आलोक में कार्रवाई भी की गयी है यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.06.2017 अभियुक्त मुसाफिर राय का बंधपत्र खंडित किया गया है जबकि इसके पूर्व में दिनांक 12.09.2014 को सिर्फ एक ही अभियुक्त का आरोप गठन किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर वाद दैनिकी उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत किया गया है। पूर्व में कार्यालय द्वारा लोक अभियोजक को साक्षी प्रस्तुत करने के लिए पत्र भी निर्गत किया गया है। अतः इन समस्त तथ्यों के आलोक में तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक संख्या 302/1985–3032 दिनांक 16 से 18 अप्रैल 2024 के आलोक में कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि चूकि यह वाद 1990 ई0 का है अतः कार्यालय इस आदेश फलक की प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली को भेजकर बिदुपर थाना कांड संख्या 130/1986 के कार्बन कॉपी कांड दैनिकी का मांग तत्काल करें तथा आरोप पत्र में नामित साक्षी अवर निरीक्षक एस0पी0 शर्मा बिदुपुर थाना शिवजी राय पिता रइइयत राय एवं शिवजी राय पिता अजब राय, साकिन पानापुर दिलावरपुर, थाना बिदुपुर को प्रस्तुत करें एवं मुसाफिर राय पिता ईश्वर राय साकिन पानापुर दिलावरपुर, थाना बिदुपुर के संबंध में मृत्यु प्रतिवेदन समर्पित करें। इस आदेश की एक प्रति प्रोवेशन ऑफिसर हाजीपुर को भी भेज दी जाये ताकि इन दोनों अभियुक्तों के संबंध में प्रोवेशन प्रतिवेदन गोपनीय रूप से न्यायालय को प्राप्त हो सके। सभी संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के अनुपालन में दिनांक 03.04.2025 को निश्चित रूप से प्रतिवेदन समर्पित करें और साक्ष्य प्रस्तुत करें और वाद दैनिकी का कार्बन प्रति न्यायालय को उपलब्ध करायें ताकि वाद का निष्पादन किया जा सके।

दिनांक 03.04.2025 साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy not Official